10/07/21

संख्या– 477/अरसठ–4–2021–604/2020

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2021

विषयः–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–म0भो0प्रा0/275/2021–22 दिनांक 10.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–604/अड़सठ–3–2020 दिनांक 28.07.2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में रसोइयों के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन एवं ग्रीष्मावकाश की अवधि में मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

(1) शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर–6 में दी गयी व्यवस्था रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन का कार्य कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्थगित रखा जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यरत रसोइयों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यरत मानते हुए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 01 वर्ष में 10 माह का मानदेय भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–5/2020/बी–1–196/दस–2020–231/2020 दिनांक 11.04.2020 के अनुसार किया जायेगा।

3– कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
विशेष सचिव।

Su.mdm.go.dell